झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 57 वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री बलबीर मुण्डा,
पिता-श्री सामु मुण्डा,
ग्राम-रेमटा, पंचायत-सिलादोन
डाकघर-तारो, थाना+जिला- खूँटी।

बनाम

प्रतिवादी DSO खूँटी ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग

कैम्प कार्यालय, खूँटी।

वाद सं0–57/2023

आज दिनांक–04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री बलबीर मुण्डा, पिता–श्री सोमु मुण्डा, ग्राम–रेमटा, पंचायत–सिलादोन, डाकघर–तारो, थाना+जिला–खूँटी द्वारा शिकायत–पत्र समर्पित किया गया।

श्री बलबीर मुण्डा का कहना है कि उन्हें माह सितम्बर, 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनसुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि डीलर के पास अवशेष होने कारण अवशेष को काट कर खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि डीलर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें आवंटन कम मिला है, इसलिये वो खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा सकते। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि डीलर श्री सिरका मुण्डा के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधान के तहत् सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक–31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx66

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–57 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बलबीर मुण्डा, पिता–श्री सोमु मुण्डा, ग्राम–रेमटा, पंचायत–सिलादोन, डाकघर, तारो, थाना+जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अनुपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी अन्य प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण सुनवाई में न तो सशरीर उपस्थित हो पाये, न ही ऑनलाइन शामिल हो पाये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी को निर्देशित करता है कि वे आयोग के दिनांक–04.10.2023 के आदेश के अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत करें। आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि प्रस्तुत नहीं किया गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। आयोग शिकायतकर्ता से भी आग्रह करता है कि यदि संभव हो, तो वे भी व्यक्तिगत रूप से आयोग की सुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग के वाट्सएप्प नंबर के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx119	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–57 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बलबीर मुण्डा, पिता–श्री सोमु मुण्डा, ग्राम–रेमटा, पंचायत–सिलादोन, डाकघर, तारो, थाना+जिला–खूँटी दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता ने आयोग का इस बात के लिये धन्यवाद किया है कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद उन्हें उनका बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग शिकायतकर्ता की सहमति और संतुष्टि के आधार पर इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx128	